AC rn 16/1/19

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर एवम जयपुर स्थित निगम कार्यालयों/आगारों में स्थापित कम्प्यूटर उपकरणों की वार्षिक दर अनुबंध (Rate Contract) एवं सर्विस इंजीनियर हेतु बोली

क्रमांक :एफ3/मु./आई.टी./57/2019/ ११6 दिनांक : 16-01-19

बोली पत्र को अच्छी तरह से लिफाफे में सील कर ही प्रेषित करें

1.	बोलीकर्ता का नाम व पता	कार्यकारी निदेशक (यातायात) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, परिवहन मार्ग, चौमू हाउस जयपुर ।		
2.	टेलीफोन	9549234592		
3.	बोली पत्र जमा करने की दिनांक समय , एवं स्थान	दिनांक 16/01/2019	समय 3.00 PM	राजस्थान परिवहन निगम, आई.टी.शाखा, मुख्यालय जयपुर
4.	बोली खुलने का समय, दिनांक समय एवं स्थान	दिनांक 31/01/2019	समय 5.00 PM	राजस्थान परिवहन निगम, आई.टी.शाखा, मुख्यालय जयपुर

बोली प्रपत्र निगम की वैबसाईट transport.rajasthan.gov.in/rsrtc व sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकेगा।

कार्यकारी निदेशक (याता0)

16/1/19

Scanned by CamScanner

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर
बोली – पत्र

विषयः– राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर एवम जयपुर स्थित निगम कार्यालयों/आगारों में स्थापित कम्प्यूटर उपकरणों के वार्षिक मरम्मत अनुबन्ध बोली।

विशेष :– यह प्रपत्र अहस्तान्तरणीय है तथा जिसके पक्ष में यह जारी किया जावे उसी के प्रयोजनार्थ हैं।

1. फर्म का नाम एवं पता (मय फोन नं.)..
....
....
....
2. E-Mail:- ………………………………………………………….
3. बोली प्रपत्र शुल्क राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/100/– रूपये नकद रसीद संख्या......................... दिनांक ....के द्वारा निगम कोष में जमा कराया गया।
4. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के, मुख्यालय, जयपुर एवम जयपुर स्थित निगम कार्यालयों/आगारों में स्थापित कम्प्यूटर उपकरणों के वार्षिक मरम्मत अनुबंध हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट/नकद के माध्यम से रसीद संख्या..............................दिनांक ....के द्वारा बोली प्रतिभूति राशि के रूप में रूपये .... जमा करा दिये हैं।
5. इस बोली से सम्बन्धित सभी शर्तों एवं नियमों का अवलोकन कर लिया है, तथा ये सभी शर्तें व नियम मान्य हैं। स्वीकृति के रुप में नियमों एवं शर्तो के प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
6. फर्म का तकनीकी विवरण संलग्न करें। (फर्म द्वारा सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थाओं में इस कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित कार्यनुभव का विवरण, संस्था के नाम व पते सहित तथा फर्म में कार्यरत तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों का विवरण, हार्डवेयर/नेटवर्किग से सम्बन्धित अनुभव सहित) फर्म के वार्षिक टर्नओवर से सम्बन्धित आवश्यक प्रपत्र भी संलग्न है।
7. फर्म के स्वामियों के नाम व स्थायी पते की सूची संलग्न है।
8. बोलीदाता को पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. फर्म द्वारा Technical Bid व Financial Bid अलग–अलग लिफाफे में उपलब्ध करानी होगी, जिसमें Technical Bid ''Annexure-A'' & Financial Bid ''Annexure-B'' में उपलब्ध करानी होगी। जो फर्मे Technical Bid की पात्रता को पूर्ण करेगी उसी फर्म की Financial Bid खोली जावेगी।
10. इस बोली से संबंधित सभी शर्तो एवं नियमों का अवलोकन कर लिया गया है तथा सभी शर्ते व नियम मान्य है तथा स्वीकृति के रुप में नियमों एवं शर्तो के प्रत्येक पेज पर अपने हस्ताक्षर कर दिये गये है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

बोली की मुख्य शर्तें

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मुख्यालय एवम जयपुर स्थित निगम कार्यालयों एवं आगारों में स्थापित कम्प्यूटर उपकरणों के वार्षिक मरम्मत अनुबन्ध का कार्य बोलीदाता से करवाने हेतु बोली की शर्ते निम्न प्रकार से निर्धारित की जाती हैः–

1. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अंतर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड फर्मों से बोली हेतु आवेदन मांगे जाते हैं। इसमें संयुक्त रूप (भागीदार मान्य नहीं है) से भाग नहीं लिया जा सकेगा, केवल एक ही फर्म भाग लेवें।
2. बोलीदाता को बोली प्रतिभूति राशि प्रोजेक्ट लागत का 2 प्रतिशत रू 6000/– नगद/डीडी/बैंक गारंटी के रूप में बिना किसी शर्त वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर के नाम से जमा करानी होगी। बिना बोली प्रतिभूति राशि के बोली मान्य नहीं होगी। बोली प्रतिभुति राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
3. वित्तीय बोली मय बोली प्रपत्र दिनांक /01/2019 को सांय 3.00 बजे तक निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में पहॅुच जानी चाहिए । प्राप्त बोली उसी दिन सांय 5.00 बजे उपस्थित सभी बोलीदाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
4. बोलीदाता का वार्षिक टर्नओवर कम्प्यूटर उपकरणों के रखरखाव/मरम्मत के क्षेत्र में न्यूनतम 50,00,000/- रुपये (पचास लाख रुपये) होना चाहिऐ। इससे कम टर्नओवर वाले बोलीकर्ता की बोली मान्य नहीं होगी। चार्टर्ड अकाउटेन्ट द्वारा प्रमाणित बैलेंसशीट की प्रतिलिपि संलग्न करें।
5. फर्म को सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थाओं में न्यूनतम तीन वर्ष का कार्यानुभव का विवरण तथा फर्म में कार्यरत तकनीकी रुप से दक्ष कर्मचारियों की तकनीकी योग्यता/लेन कनेक्टिीविटी/नेटवर्किंग से सम्बन्धित कार्य अनुभव/हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर से सम्बन्धित कार्य में दक्षता के विवरण की सूची आवश्यक रुप से उपलब्ध करवानी होगी।
6. फर्म को निगम कार्यालय में एक पूर्णकालिक हार्डवेयर इन्जिनियर भी उपलब्ध कराना होगा जिसे सभी कार्य दिवसों में प्रातः 09.30 बजे से सांय 06.00 बजे तक अपनी सेवाऐं प्रदान करनी होगी साथ ही निगम में सभी कम्प्यूटर उपकरणों को चालू हालत में रखना होगा तथा पूर्णकालिक हार्डवेयर इन्जिनियर के जयपुर स्थित निगम कार्यालयों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिये कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा। फर्म द्वारा ई.एस.आई व ई.पी.एफ. का प्रमाण–पत्र लगाना अनिवार्य होगा।
7. फर्म के द्वारा कम्प्यूटर उपकरणों में से टूटा/खराब सामान बदले जाने पर उक्त सामान निगम की सम्पति होगा।
8. फर्म को अनुबन्ध अवधि समाप्ति से पूर्व समस्त उपकरण चालू हालत में रखने होगे। यदि फर्म द्वारा अनुबन्ध अवधि समाप्ति से पूर्व कोई उपकरण चालू हालत में नहीं छोड़ा जाता है तो निगम को उसे स्वयं के खर्चे पर ठीक कराने का अधिकार होगा जिसे फर्म को देय राशि में से वसूल किया जावेगा।
9. फर्म को कम्प्यूटर उपकरण जिस स्थान पर स्थापित है वहीं ठीक करने होगें ।
10. किसी भी प्राकृतिक आपदा/अप्रत्याशित घटना यथा बाढ़, भूकम्प, बिजली गिरना, तूफान, भूस्खलन, सैन्य आक्रमण एवं अन्य कारण जो मानवीय नियंत्रण से बाहर हो आदि के कारण यदि कम्प्यूटर उपकरणों को कोई क्षति होती है तो उसके लिये फर्म उत्तरदायी नहीं होगी।
11. कम्प्यूटर उपकरणों के सभी पार्टस व प्रिन्टर हैड, टेफलोन, यू0पी0एस0, बैट्री आदि अनुबंध अवधि में खराब होते हैं तो फर्म द्वारा बोली में प्रस्तावित ब्रांड के ही पार्टस लगाये जावेगें जिसके लिये फर्म को ''Annexure-B'' में वर्णित पार्टस की राशि के अनुसार ही भुगतान देय होगा जिसे फर्म द्वारा प्रत्येक माह में भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। फर्म को जारी कार्यादेश दिनांक से ही कार्य प्रारम्भ करना होगा।
12. अनुबंध अवधि में ''Annexure-B'' में वर्णित कम्प्यूटर उपकरणों के अलावा यदि कोई अन्य उपकरण अनुबंध अवधि में खराब होता है तो उसे बाज़ार मूल्य के अनुसार आई.टी. शाखा से अनुमति पश्चात् बदला जावेगा जिसका देयक बोलीदाता को पृथक से प्रत्येक माह प्रस्तुत करना होगा।
13. फर्म द्वारा निगम कार्यालय में उपलब्ध कराये गये पूर्णकालिक हार्डवेयर/नेटवर्किंग इन्जीनियर को अपने कार्य में दक्षता होनी चाहिए एवं निगम परिसर व जयपुर स्थित निगम कार्यालयों/आगारों में

नेटवर्किंग/हार्डवेयर संबंधित समस्याओं को कार्य की महत्वत्ता को मध्येनज़र रखते हुए निर्धारित समय में निवारण करना अनिवार्य होगा।

14. निगम द्वारा कम्प्यूटर खराब की शिकायत दर्ज कराने पर फर्म को शिकायत दर्ज कराने एवं शिकायत नम्बर दिये जाने की माकूल व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।
15. फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये पूर्णकालिक हार्डवेयर इंजिनियर को कार्यालय समय में उपस्थिति पंजिका में प्रातः–सांयकाल दोनों समय हस्ताक्षर करने होंगे एवं अनुपस्थिति की स्थिति में दक्ष इंजिनियर की व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा की स्थिति में रू 200/– रू प्रति अनुपस्थित दिवस के अनुसार शास्ति राशि वसूल की जावेगी।
16. शिकायत दर्ज होने के 24 घन्टे में फर्म को शिकायत का निराकरण करना होगा। यदि फर्म द्वारा कम्प्यूटर उपकरण को ठीक करने के लिये अपने वर्कशाप ले जाया जाता है तो फर्म को उपकरण ठीक होने तक स्टेण्ड बाई उपकरण उपलब्ध कराना होगा।
17. यदि निगम द्वारा शिकायत दर्ज होने के 24 घन्टे में फर्म द्वारा उसका निराकरण नहीं किया जाता है तो फर्म पर 200/– प्रतिदिन की दर से जुर्माना देय होगा। (दिन 24 घन्टे का माना जावेगा)
18. यदि फर्म द्वारा तीन दिन तक शिकायत पर कार्यवाही नहीं की जाती है तो निगम को उपकरण ठीक कराने का अधिकार होगा, जिसका सम्पूर्ण व्यय फर्म से निगम द्वारा वसूल किया जावेगा।
19. निगम की आवश्यकतानुसार बोलीदाता द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार कार्य नहीं करने की स्थिति में निगम द्वारा फर्म को देय फर्म के उक्त त्रैमासिक अवधि का भुगतान जब्त कर अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा।
20. फर्म से कम्प्यूटर उपकरणों का वार्षिक मरम्मत अनुबन्ध एक वर्ष के लिये किया जावेगा तथा कार्य संतोषजनक होने पर दोनों पक्षों की सहमति होने पर तीन माह के लिए बढाया जा सकेगा।
21. List of Computer Items में उल्लेखित समस्त कम्प्यूटर उपकरणों के वार्षिक रखरखाव हेतु देय राशि का भुगतान संबंधित अधिकारी द्वारा 'संतोषप्रद कार्य' संबंधी प्रमाणीकरण रिपोर्ट देने के पश्चात फर्म को त्रैमासिक आधार पर (जुर्माना राशि को घटाने के पश्चात यदि कोई हो तो) किया जायेगा। फर्म द्वारा प्रस्तावित दर में समस्त कर तथा जीएसटी सम्मिलित होगें। भविष्य में करों मे वृद्धि होने पर निगम को कोई कर दायित्व नहीं होगा।
22. अनुबंधकर्ता फर्म को बिल के साथ समस्त ओ.के. कॉल रिपोर्ट किये गये कार्य का अंकन करते हुए प्रस्तुत करनी होगी।
23. कम्प्यूटर में Installed बेसिक सॉफ्टवेयर को दुरूस्त/अपडेट करने का कार्य वार्षिक रखरखाव में सम्मिलित होगा।
24. फर्म को किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा।
25. फर्म को कार्यादेश मिलने के 15 दिवस के भीतर कार्य संपादन प्रतिभूति के रूप में वार्षिक अनुबंधित लागत का 5 प्रतिशत बैंक गारंटी/नगद/डीडी जो कि वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर के नाम से जमा करानी होगी। निर्धारित अवधि में कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराने पर बोली के लिये जमा बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी। परफोरमेन्स सुरक्षा राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
26. अनुबन्ध अवधि में कमी/वृद्धि अथवा अनुबन्ध अवधि के दौरान अनुबन्ध को समाप्त करने का अधिकार भी बिना कोई कारण बताये पूर्णतया निगम के पास सुरक्षित रहेगा इस सम्बन्ध में निगम अध्यक्ष / अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/ प्रबन्ध निदेशक का निर्णय अंन्तिम होगा जो बिना किसी एतराज के स्वीकार होगा।
27. उपरोक्त शर्तो में कमी या वृद्धि करने अथवा किसी शर्त को निरस्त करने का अधिकार पूर्णतया निगम का होगा।
28. सशर्त बोली स्वीकार नहीं होगी ।
29. किसी भी प्रस्ताव को बिना कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
30. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में निगम के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति का पंच निर्णय बोलीदाता को मान्य होगा।
31. न्यायिक क्षेत्र केवल मात्र जयपुर रहेगा।
32. ड्राफ्ट अनुबंध “Annexure-C” पर संलग्न है।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर

LIST OF ITEMS TO BE COVERED UNDER AMC

(Detail of items installed at Head Office and various units of RSRTC in Jaipur may be seen at I.T. Cell, Head Office, Jaipur)

LIST OF COMPUTER ITEMS

ITEM	NOS.
COMPUTER P4 AND HIGHER VERSION (including monitor, keyboard, mouse, power cable, data cable etc.)	120
LAPTOP	18
SCANNER	19
LCD PROJECTOR	1
PRINTER LASER	75
PRINTER 4IN1	10
PRINTER DMP	17
UPS 5.0 KVA	1
UPS 1.0 KVA/500/600/650 VA	66
SWITCH 24 PORT 10/100 MBPS UNMANAGED (Including Net Working)	3
SWITCH 5/4 PORT 10/100 MBPS UNMANAGED (Including Net Working)	14
Total Items	**344**

Annexure – A

Rajasthan State Road Transport Corporation
Parivahan Marg, C-Scheme, Jaipur

<u>तकनीकी–वाणिज्यिक बोली प्रपत्र–1</u>

क्र.सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5	आय कर (पैन नंबर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अंतर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अंतर्गत				
7	टर्नओवर 50 लाख से अधिक (Charted Accountant से Certified , Balance Sheet की प्रतिलिपि)				
8	तीन साल का Experience (सरकारी / अर्द्धसरकारी संस्थाओं के)Certificate/Work Ordre Copy				

Annexure – B

Rajasthan State Road Transport Corporation
Parivahan Marg, C-Scheme, Jaipur

<u>वित्तीय बोली/प्राईस बिड प्रपत्र–2</u>

S.No.	Computer/CPU/ Printer/UPS/Scanner Parts	Brand	Rate Per Parts with all taxes
1	RAM 2 GB		
	a) DDR 2		
	b) DDR 3		
	c) DDR 4		
	RAM 4 GB		
	a) DDR 2		
	b) DDR 3		
	c) DDR 4		
2	Keyboards (Wired)		
	a) DELL		
	b) TVS Gold		
3	DELL USB Mouse (Wired)		
4	Hard Disk (WD/Seagate)		
	a) Internal		
	b) External		
5	SMPS		
6	Mother Board (ASUS\Gigabyte)		
	a) P4		
	b) Core 2 Duo		
	c) i3		
	d) i5		
7	LAN Card (D-Link)		
8	Laptop LAN Card (D-Link)		
9	LAN Wire (CAT 6) (D-Link)		
10	D-Link 8 Port Switch		
11	D- Link IO Box		
12	D-Link RJ14 Connector		

13	Printer Taflon		
14	Printer Head		
15	Bands		
16	Wheels		
17	Paper Pickup Roler		
18	Fresher Roler		
19	Gear		
20	Fuser		
21	UPS Battery (Exide)		
22	Power Code		
23	USB Cable		
24	USB Printer Sharer		
25	Wireless Keyboard\Mouse Combo (HP)		
	Total (X)		

One Year Engineer Cost (Y) =

Total Rate (Inclusive All Taxes) = X + Y

*Note – 1. All rates are inclusive of all taxes.
2. L1 Firm will be decided on the basis of **Total Rate**.

Annexure – C

(रूपये 500/– के नॉन–ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर किया जाना है)

ड्राफ्ट अनुबंध पत्र

आज दिनांक ...../...../2019 को कार्यकारी निदेशक (यातायात), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (जो कि इस अनुबंध को प्रथम पक्ष की ओर से निष्पादित करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि हैं) जिन्हें इस अनुबंध में प्रथम पक्ष के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

मैसर्स .... पता .... जो कि पंजीकत संस्था है तथा इसका वैधानिक स्वरूप एवं कॉमन सील हैं जिस पर हस्ताक्षर करने के लिये श्री .... पद .... अधिकृत हैं और इन्हें द्वितीय पक्ष के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

दोनों पक्षों के मध्य राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मुख्यालय एवं जयपुर स्थिति कार्यालयों एवं आगारों में स्थापित कम्प्यूटर उपकरणों की मरम्मत का कार्य करवाने हेतु बोली–पत्र एवं बोली–पत्र की मुख्य शर्तों तथा इससे संबंधित जारी समस्त संशोधन पत्र इस अनुबंध का भाग होंगे तथा इन्हीं शर्तों के अनुरूप अनुबंध किया जाता है।

1. निगम मुख्यालय एवं जयपुर स्थित निगम कार्यालयों एवं आगारों में स्थापित कम्प्यूटर उपकरणों की मरम्मत कार्य हेतु निगम द्वारा द्वितीय पक्ष को समस्त कर तथा जीएसटी के साथ एएमसी शुल्क रूपये ..../– (अक्षरे ....) में वार्षिक दर (त्रैमासिक) चार बराबर किस्तों में देय होंगे।
2. फर्म द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त उपकरणों की जाँच करनी होगी तथा खराब उपकरणों को निगम की अनुमति से ठीक करने के उपरान्त वार्षिक मरम्मत अनुबंध में सम्मिलित करना होगा। उक्त मरम्मत दर पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को निगम द्वारा वहन किया जावेगा।
3. फर्म को निगम कार्यालय में एक पूर्णकालिक हार्डवेयर इन्जिनियर भी उपलब्ध कराना होगा जिसे सभी कार्य दिवसों में प्रातः 09.30 बजे से सांय 06.00 बजे तक अपनी सेवाऐं प्रदान करनी होगी साथ ही निगम में सभी कम्प्यूटर उपकरणों को चालू हालत में रखना होगा तथा पूर्णकालिक हार्डवेयर इन्जिनियर के जयपुर स्थित निगम कार्यालयों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिये कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
4. कम्प्यूटर उपकरणों की वार्षिक मरम्मत के कार्य की अनुबंध अवधि कार्यादेशानुसार दिनांक .... से दिनांक .... तक होगी। द्वितीय पक्ष का कार्य संतोषजनक होने पर दोनों पक्षों की सहमति होने पर तीन माह के लिए अनुबन्ध बढ़ाया जा सकेगा।
5. यदि निगम द्वारा शिकायत दर्ज होने के 24 घन्टे में फर्म द्वारा उसका निराकरण नहीं किया जाता है तो फर्म पर 200/– प्रतिदिन की दर से जुर्माना देय होगा। (दिन 24 घन्टे का माना जावेगा)

6. List of Computer Items में उल्लेखित समस्त कम्प्यूटर उपकरणों के वार्षिक रखरखाव हेतु देय राशि का भुगतान संबंधित अधिकारी द्वारा 'संतोषप्रद कार्य' संबंधी प्रमाणीकरण रिपोर्ट देने के पश्चात फर्म को त्रैमासिक आधार पर (जुर्माना राशि को घटाने के पश्चात यदि कोई हो तो) किया जायेगा। फर्म द्वारा प्रस्तावित दर में समस्त कर तथा जीएसटी सम्मिलित होगें।
7. अनुबन्ध अवधि में कमी/वृद्धि अथवा अनुबन्ध अवधि के दौरान अनुबन्ध को समाप्त करने का अधिकार भी बिना कोई कारण बताये पूर्णतया निगम के पास सुरक्षित रहेगा इस सम्बन्ध में निगम अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक का निर्णय अंन्तिम होगा जो बिना किसी एतराज के स्वीकार होगा।
8. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में निगम अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति का पंच निर्णय बोलीदाता को मान्य होगा।
9. न्यायिक क्षेत्र केवल जयपुर होगा।

वास्ते प्रथम पक्ष	वास्ते द्वितीय पक्ष
(कार्यकारी निदेशक–यातायात)	(श्री ....)
	पद ....
	पता .... मय सील
1. गवाह	1. गवाह
2. गवाह	2. गवाह